प्रेस विज्ञप्ति
28.03.2026

ईडी ने देवब्रत दे एवं सहयोगियों के विरुद्ध अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी एवं धनशोधन मामले में ₹1.20 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया।

प्रवर्तन निदेशालय, अगरतला उप आंचलिक कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ध्रुब मजूमदार की पत्नी, अनामिका मजूमदार तथा अपू रंजन दास से संबंधित लगभग ₹1.20 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई देबब्रत दे, ध्रुब मजूमदार, अपू रंजन दास एवं अन्य के विरुद्ध अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी एवं धनशोधन प्रकरण के संदर्भ में की गई है। अपू रंजन दास एक आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध अनेक मामले दर्ज हैं तथा कई मामलों में पेश न होने के कारण माननीय न्यायालयों द्वारा गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं।

ईडी ने त्रिपुरा पुलिस द्वारा मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज दो प्राथमिकियों यथा पानिसागर थाना द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एक वाहन के केबिन में छिपाए गए 1,352 किलोग्राम सूखे गांजा/कैनाबिस की बरामदगी) तथा मंगियाकामी थाना द्वारा दर्ज प्राथमिकी (वाणिज्यिक मात्रा से अधिक कोडीन फॉस्फेट युक्त 14,400 बोतल फेन्सडिल कफ लिंकटस की बरामदगी), जो धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग 'ए' के पैरा 2 में निर्दिष्ट अनुसूचित अपराध हैं के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत जांच प्रारंभ की।

ईडी की जांच में यह सामने आया कि देबब्रत दे भी एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर है, जिसके विरुद्ध दो पृथक एनडीपीएस मामलों में आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं। वह ध्रुब मजूमदार, जो त्रिपुरा का एक कार्यरत पुलिस अधिकारी है, तथा अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर गांजा/कैनाबिस एवं कोडीन-आधारित मादक पदार्थों की अवैध खरीद, परिवहन एवं आपूर्ति हेतु एक संगठित, अंतर-राज्यीय तस्करी गिरोह का संचालन करता था। प्रतिबंधित पदार्थों को पकड़े जाने से बचाने के लिए वाणिज्यिक वाहनों में विशेष रूप से निर्मित छिद्रों में छिपाया जाता था तथा भारतीय रेल का भी उपयोग किया जाता था। इस अवैध तस्करी से उत्पन्न अपराध की आय को आरोपियों एवं उनके व्यावसायिक संस्थानों के नाम से संचालित विभिन्न बैंक खातों में नकद के रूप में जमा किया जाता था।

ध्रुब मजूमदार, जो एक कार्यरत पुलिस अधिकारी एवं सह-आरोपी है, ने अपने बैंक खातों में भारी मात्रा में नकद राशि जमा की और अपराध की आय का उपयोग अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियों के क्रय हेतु किया।

आगे की जांच जारी है।